

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा चौकाघाट में हुए दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल रू0 25,000/- का इनामिया अभियुक्त रवि प्रताप सिंह गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2020 को चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के नेतृत्व में क्राइम ब्रान्च व थाना जैतपुरा की संयुक्त टीम गठित की गयी थी उक्त सनसनीखेज घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु धरातलीय अभिसूचना के क्रम में आज दिनांक 28.09.2020 को प्र.नि जैतपुरा शशिभूषण राय मय टीम और प्रभारी क्राइम ब्रान्च अश्वनी पाण्डेय मय टीम चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चौकाघाट पर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्त रवि प्रताप सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, जिस पर 25000/- रु. का इनाम घोषित है, अपने वर्तमान निवास स्थान – म.नं. ई 141 अशोक विहार कालोनी फेज-1 थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर मकान को चारों तरफ से घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रवि प्रताप सिंह उपरोक्त बताया जिसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस मैगजीन में बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त रवि प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि विवेक सिंह कट्टा की अभिषेक सिंह प्रिन्स से पुरानी रंजिश थी। मृतक अभिषेक सिंह ने विवेक सिंह पर वर्ष 2013 में जानलेवा हमला किया था तभी से विवेक सिंह कट्टा अभिषेक सिंह की जान का दुश्मन हो गया था व समय मिलने का इन्तजार कर रहा था। जिसको मारने की योजना दिनांक 21.08.2020 को प्रभाकर उपाध्याय के गाँव के ट्यूबवेल पर बनायी गयी। जिसमें विवेक सिंह कट्टा, विजेन्द्र सिंह, हेमन्त सिंह, अतुल विश्वकर्मा, शाश्वत सिंह, नवीन सिंह और शूटर शामिल थे। योजनानुसार गणेशपुर तरना शिवपुर में एक फ्लैट पर इकट्ठा हुए और घटना वाले दिन अतुल विश्वकर्मा अपाचे बाइक से, विजेन्द्र सिंह बब्बू सुपर स्लैण्डर बाइक से और मैं, विवेक सिंह कट्टा, हेमन्त सिंह और शूटर, रवि की स्विफ्ट गाड़ी से निकले। मकबूल आलम रोड पर रुककर अभिषेक के घर से निकलने का इन्तजार करने लगे। जब प्रिन्स सिंह अपने साथी के साथ बाइक से मकबूल आलम रोड पर आ गया तो उसका पीछा किया गया। रास्ते में शूटर स्विफ्ट से उतरकर विजेन्द्र सिंह बब्बू की गाड़ी पर बैठ गया और चौकाघाट काली मन्दिर के पास मौका पाकर शूटर द्वारा अभिषेक सिंह प्रिन्स को गोली मारी गयी। जिसमें उसके साथी व एक राहगीर को भी गोली लग गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रवि प्रकाश सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ हालपता – अशोकबिहार कालोनी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी । (ईनामिया -25000/रु.)

विवरण बरामदगी-

- एक अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

- मकान अभियुक्त मोहल्ला अशोक विहार कालोनी, समय लगभग 05.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 153/15 धारा 307/34 भादवि व 31(ए) सीएलए एक्ट एवं 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 194/15 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 1264/18 धारा 120(बी)/147/148/307/323/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147/148/149/302/307/120(बी)/216(ए) भादवि थाना जैतपुरा वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 179/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी।

वांछित अभियुक्त-

1. अतुल विश्वकर्मा पुत्र समरबहादुर निवासी कुदूपुर थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर । (ईनामिया -25000/रु.)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. अश्वनी पाण्डेय प्रभारी क्राइम ब्रान्च, उ.नि. अरुण प्रताप सिंह मय हमराह क्राइम ब्रांच वाराणसी।
2. प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय, का0 सुख सिंह, का0 गणेश राय, का0 संदीप कुमार प्रथम व का0 धीरेन्द्र यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 28-09-2020 को थाना चोलापुर के उ0नि0 रामराज शुक्ल मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-147/2020 धारा-147/148/323/504/506/452/325/427/307 भादवि में वांछित अभियुक्त सुल्तान उर्फ वारिस पुत्र खुसुबुद्दीन निवासी ग्राम मवैइया थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, ग्राम मुरली अन्डर पास के निकट मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 रामराज शुक्ल द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मुरली अन्डर पास के पास पहुँचकर अभियुक्त सुल्तान उर्फ वारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

➤ सुल्तान उर्फ वारिस पुत्र खुसुबुद्दीन ग्राम मवैइया थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामराज शुक्ल, मु0आ0 रामप्रताप सिंह व का0 प्रशान्त सिंह थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 223/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 28/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 28-09-2020 को थाना चेतगंज के उ0नि0 अर्जुन सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में बेनिया पर मौजूद थे कि इसी दौरान सूचना मिली कि सरायगोवर्धन मे किसी व्यक्ति ने अपने पटीदार पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया है प्राप्त सूचना पर उ0नि0 अर्जुन सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए म0नं0 सी-4/239 सरायगोवर्धन पहुँचकर देखा गया तो मकान के सामने भीड़ लगी हुई थी। वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गयी तो लोगो ने बताया कि आकाश यादव उर्फ उज्जू पुत्र भरत लाल यादव ने छत पर चढकर अपने पटीदार चाचा दुर्गा यादव को चाकू मार दिया है। छत पर पहुँचकर देखा गया तो एक व्यक्ति के हाथ मे चाकू था तथा दो लोगो ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुये थे, एक व्यक्ति छत पर घायल अवस्था में गिरा पड़ा था जिसे रक्तस्राव हो रहा था। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा हाथ में चाकू लिए अभियुक्त आकाश यादव उर्फ उज्जू पुत्र भरत लाल यादव को गिरफ्तार लिया गया, जिसके कब्जे से चाकू बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- आकाश यादव उर्फ उज्जू पुत्र भरतलाल यादव निवासी सी 4/239 सरायगोवर्धन थाना चेतगंज वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी पानदरीबा, का0 अवधेश यादव व का0 अवनीश राय थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 27.09.2020 को थाना फूलपुर के उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मीराशाह तिराहा पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज गाँजा बेचने के लिए अजईपुर गाँव के तिराहे के पास खड़ा है यदि शीघ्रता करें तो उसे पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 अरुण कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अजईपुर तिराहे के पास पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके हाथ में पकड़े थैले में से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द सिंह को समय करीब 20.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 केदार नाथ सिंह निवासी ग्राम थाना, थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0366/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्रा, हे0का0 आनन्द सिंह व का0 राकेश कुमार सिंह थाना फूलपुर वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 28.09.2019 को थाना कोतवाली के उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गश्त में मैदागिन चौराहा पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहटिया चौराहा पर खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा व कारतूस है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के लोहटिया चौराहे के पास पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर एक बारगी दबिश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस-12 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिनव केशरी को समय करीब 04.05 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभिनव केशरी पुत्र नन्दकिशोर केशरी नि0 सीके 40/11 घुघरानी गली दालमण्डी थाना चौक वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद जिन्दा कारतूस-12 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 30/2015 धारा 379 भा0द0वि0 थाना आदमपुर वाराणसी ।
2. मु0अ0स0 118/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली वाराणसी ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री सच्चिदानंद सिंह - चौकी प्रभारी सप्तसागर, का0 रामू सरोज व का0 4333 रवि प्रकाश गोंड थाना कोतवाली, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 27/09/2020 को थाना लंका के उ0नि0 जगदीश प्रसाद शुक्ल मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, सक्रिय अपराधी एवं विवेचना में मशरूफ होकर मालवीय गेट के पास मौजूद थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि BHU के अन्दर जो साइकिलें चोरी हो रही हैं चोरी करने वाले दोनों चोर इस समय उमंग फार्मसी के सामने साइकिल चोरी करने की फिराक में खड़े है यदि जल्दी करें तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल के उमंग फार्मसी के पास पहुँचे तो मुखबिर ने दो व्यक्तियों की तरफ ईशारा करके बताया कि वही दोनो व्यक्ति खड़े हैं जो साइकिल चुराते हैं और जो साइकिल उनके पास है वह भी चोरी की है। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा एक बारगी दबिश देकर बाल रोग विभाग के सामने सड़क पर ही दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 अदद साइकिल बरामद हुई।

पूछताछ विवरण-

नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम रईस अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी मड़ियाडीह बस्ती पड़ाव थाना मुगलसराय चंदौली हालपता बाबू के मकान में किरायेदार जलीलपुर चौकी के पीछे थाना मुगलसराय चंदौली बताया दूसरे ने अपना नाम भगवानदास उर्फ टिन्कू पुत्र श्री हरिदास सेठ निवासी L.I.C गल्ली मडुवाडीह रामचन्दर का किराये का मकान थाना मडुवाडीह वाराणसी मूल निवासी ग्राम कन्दवा थाना मडुवाडीह जिला वाराणसी बताया। पूछताछ करने पर अभियुक्तो ने बताया कि हम लोगो द्वारा लाकडाउन के बाद से ही BHU में तथा शहर में घूम-घूमकर कई साइकिले चोरी की गयी है और उन साइकिलों को ले जाकर अमरजीत उर्फ कल्लू जिसकी वीर्यभान नगर में सड़क के किनारे साइकिल की दुकान है, को बेच देते है जिन्हे वह ग्राहको को बेच देता है। उसकी दुकान पर हम लोगो द्वारा चुराकर बेची गई कई साइकिले मौजूद है हम लोग चलकर उन्हे बरामद करा सकते है। इस पर समय 13.15 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा बरामद साइकिलों को कब्जे में लिया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर वीर्यभानपुर राजातालाब थाना रोहनियां स्थित साइकिल की दुकान से अमरजीत उर्फ कल्लू उर्फ गुड्डू पुत्र राममनोहर पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी दुकान से चोरी की 07 अदद साइकिल, 03 अदद फ्रेम व 04 अदद रिम बरामद किये गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रईस अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी मड़ियाडीह बस्ती पड़ाव थाना मुगलसराय चंदौली हालपता बाबू के मकान में किरायेदार जलीलपुर चौकी के पीछे थाना मुगलसराय चंदौली उम्र 30 वर्ष
2. अमरजीत उर्फ कल्लू उर्फ गुड्डू पुत्र राममनोहर पटेल निवासी वीर्यभानपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 28 वर्ष
3. भगवानदास उर्फ टिन्कू पुत्र श्री हरिदास सेठ निवासी L.I.C गल्ली मडुवाडीह रामचन्दर का किराये का मकान थाना मडुवाडीह वाराणसी मूल निवासी ग्राम कन्दवा थाना मडुवाडीह जिला वाराणसी उम्र 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 08 अदद साइकिल
2. 03 अदद साइकिल के फ्रेम
3. 04 अदद रिम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 जगदीश प्रसाद शुक्ला, उ0नि0 सर्वेश पाण्डेय, का0 राहुल प्रजापति, का0 राजू व का0 अजय कुमार बिन्द

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 226/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 28-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 39 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *81 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2969 वाहनों का चालान, 28 वाहनों को सीज तथा 407 वाहनों से रु0-3,62,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 28-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1438 व्यक्तियों से रु0-79,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।